252/2

कोई उपस्थित नहीं। वादी एवं उनके वकील को कई बार आवाज लगाई गई कोई हाजिर जवाब नहीं आया। अतः दावा वादी अदम पैरवी व अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)